Date 11/05/2020

B.A., PART-Ist
POLITICAL SCIENCE
PAPER-I (BASIC PRINCIPLES OF POLITICAL THEORY)
CH-09 (CONCEPT OF LIBERTY)
LECTURE NO.-25 (TWENTY FIVE)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
L.N.M.U., DARBHANGA

स्वतंत्रता के विविध रूप

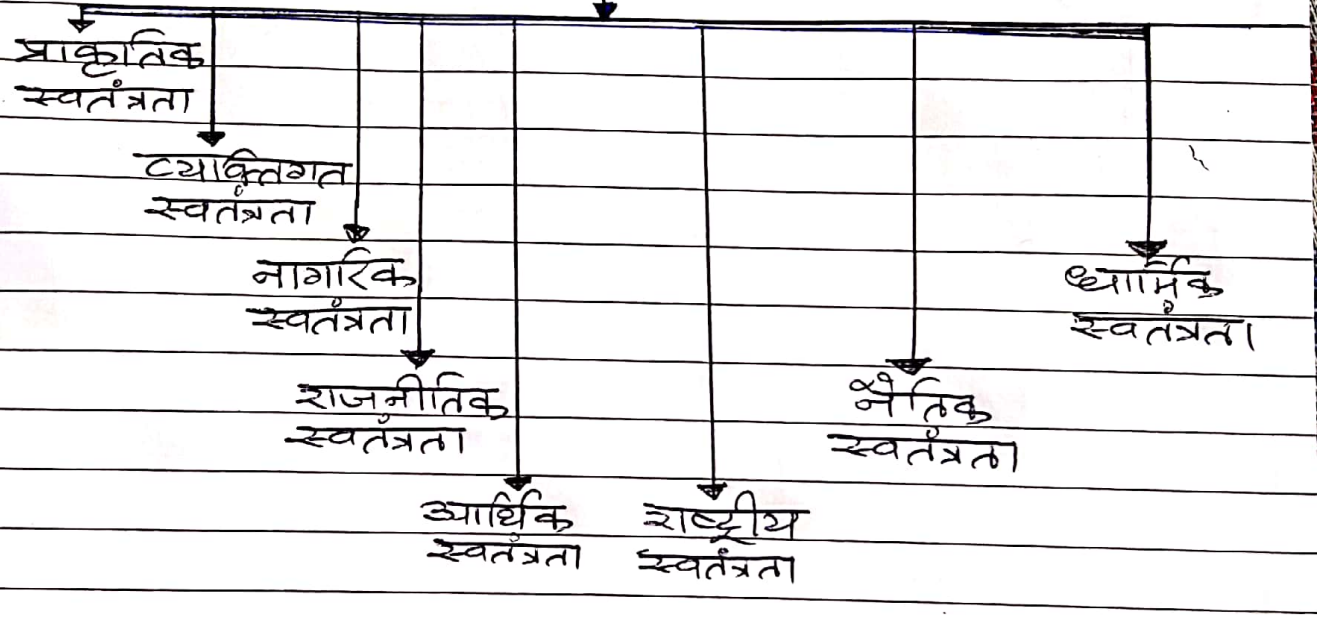

1 प्राकृतिक स्वतंत्रता –

ऐसी स्वतंत्रता जो प्रकृति द्वारा दी गई है, और जिसमें मनुष्यों को अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। समाज या राज्य मनुष्य की इस स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।

प्राकृतिक स्वतंत्रता की उपर्युक्त धारणा पूर्णतया भ्रामक है। चूँकि इस स्थिति में 'मत्स्य न्याय' का व्यवहार प्रचलित होगा, जो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत को चरितार्थ करती है। इससे समाज में उथल-पुथल मच जाएगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग सम्भव नहीं है। सामूहिक हित में

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

एवं समाज में संतुलन कायम करने हेतु स्वतंत्रता को सीमित करना नितान्त आवश्यक होता है।

वर्णित आलोचना के बावजूद भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का महत्व है, क्योंकि यह इस बात पर जोर डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर ही निर्भर करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को इन शक्तियों के विकास हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करें। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति समान हैं और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।

(2) व्यक्तिगत स्वतंत्रता —

इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिनका सम्बंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र एवं पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए मिल ने कहा है कि " मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु है।"

(3) नागरिक स्वतंत्रता —

ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति को समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से ही यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती है।

Page No.

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार के होते हैं-

(i) शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता,

(ii) व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुहाय से स्वतंत्रता

शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है।

नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुहायों और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है।

नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी राज्यों में एक-सा नहीं होता है। जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊँचा होता है, उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक एवं लोककल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है।

(4) राजनीतिक स्वतंत्रता—

अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रतापूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है।

लास्की के अनुसार, "राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है।"

लीकॉक के शब्दों में, "ऐसी संवैधानिक स्वतंत्रता जिसके माध्यम से जनता अपने शासक को अपनी इच्छानुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी ये शासक उनके प्रति उत्तरदायी हों।

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

राजनीतिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार ~~होते~~ प्राप्त होते हैं—

(i) मतदान का अधिकार;

(ii) निर्वाचित होने का अधिकार;

(iii) उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार;

(iv) सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार।

उपर्युक्त अधिकारों से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातंत्रात्मक देश में ही प्राप्त की जा सकती है।

राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में देखा जाता है।

रूसो के अनुसार, "राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जनसंप्रभुता का एक अंश होना है।"

राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं के उपयोग से ही समाज का निर्माण सम्भव होता है। जिसमें नागरिक स्वतंत्राओं की रक्षा सम्भव हो सके।

(5) आर्थिक स्वतंत्रता—

ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, लोग अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके।

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

Saathi

लास्की के अनुसार, "आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरन्तर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुँचाती है। व्यक्ति को कष्ट की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।"

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर संतुष्ट करना एवं गम्भीर आर्थिक विषमताओं के अन्त ही आर्थिक स्वतंत्रता है।

(6) राष्ट्रीय स्वतंत्रता :-

किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र होने का अधिकार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाता है। भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परम्परा, आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करें तथा अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। किन्तु जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों के समान सीमित होता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी दूसरे राष्ट्रों के समान स्वतंत्रता से सीमित होता है। सम्पूर्ण मानवता के हित में ऐसा ही होना चाहिए।

(7) नैतिक स्वतंत्रता :-

नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। इसके बिना व्यक्ति सभी प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है।

Page No. ☐

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है। जिसमें वह अनुचित लोभ-लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो।

कान्ट के अनुसार, 'व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छाशक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है।"

प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके तथा कान्ट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास सम्भव है।

वैसे तो मानव जीवन के सभी पहलु एवं शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, किन्तु लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए यह नितांत आवश्यक है।

(8) धार्मिक स्वतंत्रता :-

मनुष्य को अपनी इच्छानुसार किसी धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने ; धार्मिक क्रियाकलाप करने आदि की स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है। धर्म व्यक्तिगत विषय है, राज्य को इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि धार्मिक क्रियाकलाप सामाजिकता-नैतिकता के खिलाफ न हो।

सम्भावित प्रश्न :-

स्वतंत्रता के विविध रूपों की विवेचना कीजिए।

—×—×—×—×—×